


प्रावली पेडा
क्रिया जाकर प्रावली 5-5-28
को पेडा हो

5/5/28 प्रावली पेडा। उभयपक्ष अधिवक्ता
उपस्थित। प्रकरण बहुत देरु अतिम
ठामा दिया जाकर प्रावली दिनांक
2-6-26 को पेडा हो

8/6/26 प्रावली पेडा हुई। वादी व वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को
नियम अनुसार तीन बार ठामाजे लगवाये गये।
परन्तु उपस्थित नहीं। अंतः वादी का वाद
पुनः अन्तर्गत धारा 53, 54, 55 वादी
की अदम पूजरी व वादी अधिवक्ता की
अदम पेडी में खरिज किया जाता है।
प्रावली फैलल मुमाद होकर व नम्बर
ले कम होकर दफ्तर दाखिल हो


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा